General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्व मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 2211.—राजस्थान, सर्विक ध्यान में अनुसूची 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त राज्यीय समारोहों का प्रयोग करते हुए और पूर्व मंत्रालय, पुलिसकारण सुरक्षा सम्बन्धी 'ग' पर भूली नियम, 1993 को, उन बातों के सिद्धांत अधिकृत करते हुए, किन्हें ऐसे अधिकृत हो गए, निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया गया है तथा कोई इलाज नहीं किया गया है, पूर्व मंत्रालय में पुलिसकारण और सुरक्षा सम्बन्धी पद पर भी भारत की पदविता का विविध निर्माण करने के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया गया है, अतः—

1. संज्ञान स्वरुप और विशेष—(1) इस नियम के संज्ञान स्वरुप और विशेष रूप से पुलिसकारण और सुरक्षा सम्बन्धी पद (भारत की पदविता) नियम, 2014 है।

(2) ये राजस्थान में प्रकाशन की स्वर्ण को पहुँच होगी।

2. राजस्थान, वार्षिक, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मात्र वेतनमान—पद की संख्या, उनका वार्षिक, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे उत्तराधिकारी वेतनमान या इसके जानकारी के स्वर्ण (2) से स्वर्ण (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भारत की पदविता, आयु-सीमा, आह्वान, आदि—उकल पर पर भारत की पदविता, आयु-सीमा, आह्वान तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उम्मीद अनुसूची के स्वर्ण (5) से स्वर्ण (13) में विनिर्दिष्ट है।
4. निराहारः—यह शब्दांक—
(क) जिससे ऐसे शब्दांक से, जिसका पत्र या जिसकी पत्री जोड़ िहै विबंध किया है, या
(ख) जिससे अपने पत्र या अपनी पत्री को जोड़ िहै विबंध किया है;
उन पत्र पर निराहार का पत्र नहीं होगा:
परतु यदि कोन्हय वर्तमान के यह नामांकन हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे शब्दांक और विवाह के अन्य पक्षकार को लात्य स्थितिक शिविर के अथान अनुभव है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह कहा हो-coded विवाह को इस नियम के प्रभाव से छुटे द सकते है।
5. शिविर करने की शिखरित—यह कोन्हय वर्तमान के यह राय है कि ऐसा कारण आवश्यक या संबंधित है, यहां यह उस्के लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखन दर्ज करके, तथा संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श देने के उन नियमों के किसी उपभोक्ता की किसी वर्ग या प्रवर्थन के अधिकारों की वापस, आदेश द्वारा शिक्षित कर सकते है।
6. व्यवसितः—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आवश्यक, आयु-सीमा में छूट और अन्य प्रकारों पर भाव नहीं डालती, जिनका कोन्हय वर्तमान के यह संबंध से समय-समय जाती आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुख्य-पूर्वी सीमाओं और अन्य विशेष प्रवर्थन के अधिकारों के लिए उपभोक्ता शिक्षित कर रहा है।

### अनुसूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>पद का नाम</th>
<th>पद संख्या</th>
<th>वर्गिकरण</th>
<th>लेना भेंड और</th>
<th>चयन पर अवधि</th>
<th>अधिनयन पर</th>
<th>सीधे भारी किये जाने वाले व्यवसितों के लिए</th>
<th>सीधे भारी किये जाने वाले व्यवसितों के लिए विवेचन को पिठाया जाता है</th>
<th>आयु-सीमा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
</tr>
<tr>
<td>पुनरुक्तकालीन</td>
<td>#03</td>
<td>(2014)</td>
<td>#स्थानांतरण के</td>
<td>लेना भेंड-2,</td>
<td>अवधि</td>
<td>30 वर्ष से अधिक है।</td>
<td>अनुसूचित जातियों के लिए विवेचन को पिठाया जाता है।</td>
<td>आयु-सीमा</td>
</tr>
<tr>
<td>और सुचार्य</td>
<td>#स्वार्थभार के</td>
<td>सेवा, समुह 'g',</td>
<td>9300-34800 रु.</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
</tr>
<tr>
<td>महाकाल</td>
<td>#आधार पर</td>
<td>परिवर्तन खर्च</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>अनुसूचित,</td>
</tr>
<tr>
<td>सदस्य को जाता है।</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>अनुसूचित,</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>विशेष शिविर</td>
<td>विशेष शिविर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

सिंह भारी किये जाने वाले व्यवसितों के लिए अनुसूचित श्रेणीकरण और अन्य अहंकार
सिंह भारी किये जाने वाले व्यवसितों के लिए विवेचन और शीर्षक अहंकार
परसौल को अधिष्ठित होने के लिए व्यवसितों के लिए विवेचन और शीर्षक अहंकार
आयु: नहीं
प्राप्त करने के लिए विवेचन और शीर्षक अहंकार
(1) किसी भी मानकालीन विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पुनरुक्तकालीन विवाह या पुनरुक्तकालीन विवाह और सुचार्य विवाह में बैठचर िहै।
(2) कोन्हय वर्तमान के यह नामांकन हो जाता है कि जो कारण हैं, उन्हें लेखन दर्ज करके, तथा संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श देने के उन नियमों के किसी उपभोक्ता की किसी वर्ग या प्रवर्थन के अधिकारों की वापस, आदेश द्वारा शिक्षित कर सकते है।
(7) वांछनीयः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानः के कम्प्यूटर उपयोगन में डिजिटामा

狄尼囘 : अहसास अथवा स्वाभाविक अभ्यारण्यों की दशा में उन कारणों के लिए जो लोंग्रुजः किए जाए कर्मचारी वहाँ आयोग अथवा संस्थान प्राधिकृतों के विषयकानुसार विधिवत का जा सकता है।

狄尼囘 : अनुभूत सांस्कृतिक अहसास उन कारणों के लिए जो तमामतः किए जाए, कर्मचारी चिह्न आयोग अथवा संस्थान प्राधिकृतों के विषयकानुसार अनुसूचित जातीयों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यारण्यों की दशा में तब विधिवत का जा सकता है जब चिन्ह के विशेष प्राधिकृत पर कर्मचारी चिह्न आयोग का पह रथ में विशेष विधियों को पढ़ने के लिए अनुभूत अनुमा रखने वाले उन सम्मानों के अभ्यारण्यों के परिचय संबंधी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>(10)</th>
<th>(11)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>भारती की पदरति : भारती सोची होगी या प्राप्ति हुआ या प्राप्ति निवृत्त आधार पर विभेन पदरति द्वारा भरी जाने वाली पदरति की प्रतिस्थापन</td>
<td>प्राप्ति या प्राप्ति निवृत्त आधार पर भारती की दशा में वे अन्यथा, जिनसे प्राप्ति प्राप्ति निवृत्त / आमलन किया जाएगा</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 33.33% प्राप्ति निवृत्त (विशिष्ट कंटेङ्टैल अल्पकालिक संबंधि भी है) आमलन द्वारा और 66.67% सोची होगी द्वारा | वर्तुङ्ग पदरति [प्राप्ति प्राप्ति निवृत्त (विशिष्ट कंटेङ्टैल अल्पकालिक संबंधि भी है) आमलन] : कंटेङ्टैल सरकार या स्थान सरकार या संघ-स्थान क्षेत्र या पक्रिया संकट उपभाषा या मन्त्रालय अनुसूचित संस्थाओं या विशेषाधिकारियों या अन्य सरकारियों या कानूनी या स्थान संबंधी के ऐसे अधिकारियों; (क) (i) जो मुख्य क्षेत्र या विभेन में निर्माता आधार पर सदस्य पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिनमें मुख्य क्षेत्र या विभेन में वेतन क्षेत्र-1: 5200–20200 र. + प्रेक्षा वेतन 2800 र. या सम्मानित रण में निर्माता आधार पर निर्माता नियुक्ति के प्रघुस्थ उस वेतन में 6 वर्ष सेवा की तो ; तथा (ख) जिनके पास स्थान (7) के अधीन सोची होगी किए, जाने वाले विधियों के लिए विधिवत सीक्षा अहसास और अत्यन्त भूमक है।

狄尼囘 : वेतन क्षेत्र-1 (5200–20200र) प्रेक्षा वेतन 1900 र. में ऐसे विभागीय पुनर्कार्यवान विद्वान विभिन्न कृतियों उस वेतन में 10 वर्ष नियुक्ति सेवा की हो और जिनके पास किसी महत्त्व पाने विद्वान विश्वविद्यालय या संस्थान से पुनर्कार्यवान विभिन्न या पुनर्कार्यवान और सूची विशेष या बैंक्सर द्विविध रो, यह भारतीय व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यह ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया जाता है, तो पद को प्राप्ति हुआ भर गया समाप्त जाएगा, अन्यथा, इसे प्राप्ति निवृत्त (विशिष्ट कंटेङ्टैल अल्पकालिक संबंधि भी है) आमलन द्वारा भर गया समाप्त जाएगा।
(11)

1. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रशासकों पर केंद्र आमंत्रण के लिए विवाद किया जाएगा।
2. प्रशासनिक पृष्ठभंडारी (जिसके अंतर्गत अन्य अधिकारिक सचिव भी हैं) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उन सभी किसी अन्य संगठन या विभाग में इस प्रशासनिक पृष्ठभंडारी के अधीन पश्चात्तिक चिह्न रहे थे, पहले धारित किए अन्य कार्यबाह्य पद पर प्रशासनिक पृष्ठभंडारी की अगाधि, जिसके अंतर्गत अन्य सचिव भी हैं) साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
3. प्रशासनिक पृष्ठभंडारी (जिसके अंतर्गत अन्य अधिकारिक सचिव भी हैं) आमंत्रण द्वारा जिस के पद पर अधिकार अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की अगाधि की अवधि तीन से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. प्रशासनिक पृष्ठभंडारी के अधीन पर नियुक्ति के प्रशासन के लिए विभाग के प्रशासन सचिव, 01 जनवरी, 2006 तक पहले उस तारीख से, जब इस तत्कालिन सचिव लाने को रियासत प्रशासन के विवाद किया गया है, विवादित आधार पर कोई भी संस्था का, नियुक्ति उसमें भी, जहां एक से अधिक पूर्व पुरातन सचिव का साधारण प्रेक्षक संस्था या विभाग से उनका एक आयुक्त नहीं होना है एवं केवल उस पद पर विवादित होना जिसके लिए प्रेक्षक संस्था या विभाग से प्रशासनिक पृष्ठभंडारी जिसे उनका उन्नयन का साधारण प्रशासन या प्रेक्षक संस्था या विभाग के गृह दयालुक द्वारा नियुक्त किया जाए दर्ज करने में किन परिस्थितियों में संस्था या प्रेक्षक संस्था या विभाग से प्रशासनिक पृष्ठभंडारी की अगाधि की जाएगी।

(12)

मूल के 'छ' विभागीय पृष्ठभंडारी समिति

संस्थान प्रशासनीय अधिकार, गृह मंत्रालय, प्रशासनिक पृष्ठभंडारी
(जिसके अंतर्गत अन्य अधिकारिक सचिव भी हैं) आमंत्रण पर किसी अधिकारी का नियुक्ति करने वाली समय लंबे समय आरोपों से परोक्ष आवश्यक है।

1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
2. निदेशक, या उप सचिव (पुलिसदल का भाग साधू) गृह मंत्रालय —सचिव
3. निदेशक, या उप सचिव, गृह मंत्रालय —सचिव

[फासेस प-12018/01-2013/पाल-5]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi, the 21st October, 2014

G.S.R. 221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs Library Information Assistant Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1993, except as respects
things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Home Affairs, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library Information Assistant, Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations: relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name of the post</th>
<th>Number of posts</th>
<th>Classification</th>
<th>Pay Band and Grade Pay or Pay Scale</th>
<th>Whether selection or non-selection post</th>
<th>Age limit for direct recruits</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Library and Information Assistant</td>
<td>03 (2014)</td>
<td>General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial</td>
<td>₹9500-34800 plus</td>
<td>Not applicable</td>
<td>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Subject to variation dependent on workload.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees  | Period of probation, if any  
--- | --- | ---  
(7) | (8) | (9)  
Essential:  
(i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and  
(ii) two years experience in a Library under the Central Government or a State Government or autonomous or statutory organization or public sector undertaking or Universities or recognized research or educational institution.  
Desirable:  
Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.  
**Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.  
**Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority or reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the posts reserved for them.  
**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.  
**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made**  
(10) | (11)  
33.33% by promotion/deputation (including short term contract/absorption) and 66.67% by direct recruitment  
**Composite Method (Promotion plus deputation (including short term contract/absorption))**:  
Officers under the Central Government or a State Government or a Union Territory or public sector undertaking or recognized research institutions or Universities or Semi Government or statutory or autonomous organizations:  
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with six year service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in pay band-1, र 5200-20200 plus grade pay of र 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** Department Library Clerk in Pay Band-1 (र 5200-20200) and Grade Pay of र 1900 with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Libraray and Information Science from a recognized University or institute shall also be considered along with outsiders and in case such person is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, it shall be treated as having been filled by deputation (including short term contract)/absorption.

**Note 2:** The officials from Central Government and State Government shall only be considered for absorption.

**Note 3:** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/absorption shall be not exceeding fifty-six years” as on the closing date of receipt of applications.

**Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
<table>
<thead>
<tr>
<th>(12)</th>
<th>(13)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee:</td>
<td>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Composite method i.e., promotion plus deputation (including short term contract)/absorption.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs: | —Chairman |
| 2. Director or Deputy Secretary, (in-charge of Library) Ministry of Home Affairs: | —Member |
| 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs | —Member |

[File No. A-12018/01/2013-Ad V]
SHIBATOSH BANERJII, Under Secy.

कृपि मंज़लाय
( कृपि और सहकारिता विभाग )

(न) ही निर्देश, 22 अक्टूबर, 2014

सा.का.चि. 222.—मार्बारा, सिंचाई का अनुक्रम 309 के प्रति द्वारा प्रदत्त शासकों का प्रयोग करने हेतु और विस्तार निदेशालय (वर्ग-3 और वर्ग-4 पद) में, भारतीय निगम, 1964 को जहाँ तक उनका संबंध द्वाराकर के पद से है, उन व्यक्ति के संबंध अधिकाररत करने हेतु, जिन्हें ऐसे अधिकारकर ने पहले किया गया है या करने से लागू किया गया है, कृपि मंज़लाय, कृपि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय में द्वारकर (श्रेणी-1), द्वारकर (श्रेणी-2) और द्वारकर (सहकार श्रेणी) के पदों पर भारतीय की पददार्शी की तिलकितता करने के लिए, तिलकितता करने का निर्देश निर्देशालय के संक्षेप में निर्देशित है।

1. संचालन नाम और प्रारंभ—(1) इन निर्देशों का संचालन नाम कृपि मंज़लाय, कृपि और सहकारिता विभाग विस्तार निदेशालय द्वारकर (श्रेणी-1), द्वारकर (श्रेणी-2) और द्वारकर (सहकार श्रेणी) संचालन नाम पर भारतीय निगम, 2014 है।

2. लागू होना—ये निर्देश, इन निर्देशों के उद्योग अनुकूलों के अनुसार (1) में तिलकितता पदों को लागू होगा।

3. पदों की संख्या, व्यक्तिकरण, वेतन बंपर और प्राथमिक वेतन या वेतनप्राप्त—उन पदों की संख्या, उनका व्यक्तिकरण, वेतन बंपर और प्राथमिक वेतन या वेतनप्राप्त दोपहारों के अनुसार (2) में निर्देशित है।

4. भारतीय की पददार्शी, आत्मा-सीमा, आह्वान, आदि—उन पदों पर भारतीय की पददार्शी, आत्मा-सीमा, आह्वान और उनसे संबंधित अन्य बातें या होगी जो उत्तर अनुकूलों के संक्षेप (5) में संचालक द्वारा निर्देशित है।

5. निर्देश—(न) जिससे ऐसे व्यक्ति से दिनिडियाँ या जिसकी पददार्शी जीवित है, विपक्ष किया गया है, या विवरण की संबंधित की है, या

(प) जिससे अपने पददार्शी या अपनी पददार्शी जीवित है, या विवरण की संबंधित की है, उन पर प्रदत्त निर्देश का पात्र नहीं होगा: परिनत के निर्देश संचालक का यह समाप्ति हो जाता है कि ऐसा विवरण ऐसे व्यक्ति और विवरण के अन्य पक्षकार को तालुकाय व्यक्ति के अधीन अनुशासन हैं और ऐसा करने के लिए अन्य अधिकार हैं तो वह जीवित जिन्हें इन निर्देशों के प्रबंध हैं।

6. निर्देशित करने की शक्ति—यह निर्देश संचालक का यह शक्ति है कि ऐसा करना आवश्यक या समृद्धिहीन है, या वह उसके लिए जो कारण है उसके लिए करने के लिए, इन निर्देशों के महत्व के किसी वर्ग या प्रवर्तन के व्यक्तियों की वापसी, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

7. माफ़ी—इन निर्देशों की कोई वात, ऐसे आधारभूत, आत्मा-सीमा में छोटे और अन्य रियासतों के प्रभाव में छोटे, जिसका निर्देश संचालक द्वारा प्रबंध के प्रवर्तन के प्रबंध के लिए उपयोग करना अपरिहार्य है।